

परिपत्र संख्या 175, दिनांक 14-8-1975

बकाया की समस्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा प्रतिकूल आलोचना का विषय रही है, तथा इस प्रकार यह परिषद का ध्यान लगातार आकर्षित करती रही है। जैसा कि नीचे दिए गए आरेख से देखा जा सकता है, पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान बकाया राशि लगभग 800 करोड़ रुपये पर स्थिर हो गई थी। हालांकि, 31.03.1975 तक बकाया राशि में पुनः तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है तथा इस प्रवृत्ति को उलटने की आवश्यकता है:-

आयकर का बकाया

जैसे-तैसे	कुल (करोड़ रुपए में)	नेट
31.03.1971	738.77	499.68
31.03.1972	805.37	438.60
31.03.1973	790.02	433.10
31.03.1974	815.60	471.13
31.03.1975	935.96	537.72

2. बोर्ड का मानना है कि कर बकाया की भारी मात्रा का कारण आंशिक रूप से यह तथ्य है कि आयकर अधिनियम के तहत प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है; ऐसी कुछ शक्तियों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(5) और तीसरी अनुसूची में उल्लिखित चल संपत्ति की जब्ती और बिक्री की शक्तियों का बहुत कम उपयोग किया गया है। यह संग्रह का एक उपयोगी तरीका है, विशेषकर जहां छोटे खाते शामिल हों। वास्तव में, इस शक्ति की धमकी या प्रयोग से बकाया वसूली में काफी मदद मिलेगी।
- (ii) यह भी देखा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 73 के अंतर्गत उपलब्ध गिरफ्तारी और सिविल जेल में नजरबंद करने की शक्तियों का भी पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इस नियम के अधिक लगातार प्रयोग से न केवल विभाग को उन मामलों में वसूली करने में मदद मिलेगी जहां इस शक्ति का सहारा लिया गया है, बल्कि अन्य चूककर्ताओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिषद अपने गोपनीय पत्र एफ. सं. में, 403/27/73-आईटीसीसी दिनांक 17 सितम्बर, 1973 द्वारा आपका ध्यान पहले ही इस पहलू की ओर आकर्षित किया जा चुका है।
- (iii) हालांकि बड़ी संख्या में मामलों में कर वसूली अधिकारियों द्वारा अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें बिक्री के लिए पेश करने में आमतौर पर अत्यधिक देरी होती है। इस संबंध में, आपका ध्यान 'कर कानून संशोधन अधिनियम, 1975' द्वारा नियम 59(1) के सम्मिलन की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी भी बाद की बिक्री में संपत्ति के लिए बोली लगा सकती है, यदि पिछली बिक्री आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर हुई हो। इस नियम को अनुलग्नक में शामिल किया गया है, जहां वसूली से संबंधित करानान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा किए गए अन्य परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है।

3. यह भी देखा गया है कि कर वसूली अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई प्रमाण पत्रों के अंतर्गत बकाया राशि की कुल राशि, सम्पूर्ण बकाया मांग से काफी अधिक है, जिसे प्रमाणित किया जा सकता था। बोर्ड ने अपने परिपत्र पत्र एफ. सं. 404/217/74-आईटीसीसी दिनांक 18 नवंबर, 1974 (निर्देश सं. 149) में पहले ही इच्छा व्यक्त की है कि कर वसूली अधिकारी और आयकर अधिकारी के रजिस्ट्रों का छमाही मिलान होना चाहिए। ऐसे समाधान के संबंध में पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1975 को प्रस्तुत की जानी है।

4. परिषद के अनुरोध पर, कुछ आयकर आयुक्त प्रत्येक परिसर के आयकर अधिकारी तथा संबंधित निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त के साथ समय-समय पर बैठक करते रहे हैं। ऐसी बैठकों में संबंधित कर वसूली अधिकारी भी शामिल होता है। टीआरओ ने अगली बैठक से पहले बकाया मांग के अपने आंकड़ों को कम से कम एक आईटीओ के साथ मिलान करने को कहा ताकि एक निश्चित अवधि में, प्रत्येक श्रेणी के संबंध में आंकड़े पूरी तरह से मेल खा जाएं। इसलिए, परिषद चाहता है कि इस पद्धति को सभी आयकर आयुक्तों द्वारा प्रभावी रूप से अपनाया जाना चाहिए। हालांकि, मुफस्सिल प्रभागों में, जहां आयकर आयुक्त के लिए ऐसी सभी बैठकों में स्वयं को शामिल करना सुविधाजनक न हो, वहां संबंधित निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त को अपने आयकर अधिकारियों और संबंधित कर वसूली अधिकारी(ओं) के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करनी चाहिए।

5. अनुलग्नक के अनुसार कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 में भी परिवर्तन किए गए हैं, जिनसे वसूली को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। परिषद चाहता है कि अधिकारियों को इन परिवर्तनों से अवगत कराया जाए ताकि वे आवश्यक कदम उठा सकें।

भवदीय,
(वीपी मित्तल)
सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

संलग्न: जैसा कि ऊपर बताया गया है।

आयकर आयुक्त को संबोधित पत्र एफ. संख्या 404/171/75-आईटीसीसी दिनांक (14 अगस्त 1975)

वसूली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक उपाय

अधिनियम में किये गये परिवर्तन।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के खंड 54 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। यह स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

'स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, करदाता की चल या अचल संपत्ति में ऐसी कोई संपत्ति शामिल होगी जो 1 जून को या उसके, पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई हो। 1973 के अधिनियम के अनुसार, करदाता द्वारा अपने पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे या बेटे की पत्नी या बेटे के अवयस्क बच्चे को, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित की गई संपत्ति, जो पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी के पास है या उसके नाम पर है; और जहां तक उसके अवयस्क बच्चे या उसके बेटे के अवयस्क बच्चे को इस प्रकार हस्तांतरित चल या अचल संपत्ति का संबंध है, वह, यथास्थिति, ऐसे अवयस्क बच्चे या बेटे के अवयस्क बच्चे द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात भी, ऐसी तारीख से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में करदाता से देय किसी बकाया की वसूली के लिए करदाता की चल या अचल संपत्ति में सम्मिलित बनी रहेगी।"

2. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 65 द्वारा धारा 223 में उपधारा (2) जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:-

"(2) जहां किसी करदाता के पास एक से अधिक कर वसूली अधिकारी और टीआरओ के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति है, जिसे आयकर अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भेजा जाता है।

- (a) अपने अधिकार क्षेत्र में चल या अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा पूरी राशि वसूल करने में सक्षम नहीं है या।
- (b)
- (c) यदि उसकी राय में इस अध्याय के अधीन पूरी रकम या उसके किसी भाग की वसूली शीघ्र

करने या सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रमाणपत्र या जहां रकम का केवल भाग वसूल किया जाना है, वहां निर्धारित तरीके से प्रमाणित और वसूल की जाने वाली रकम को निर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र की एक प्रति उस टीआरओ को भेज सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में करदाता निवास करता है या उसकी संपत्ति है, और इसके बाद वह टीआरओ भी इस अध्याय के अधीन रकम वसूल करने के लिए उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रति आयकर अधिकारी द्वारा उसे भेजा गया प्रमाणपत्र हो।

3. आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 73 में भी संशोधन किया गया है तथा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 81 (vi) के प्रावधानों द्वारा एक उप-नियम (3क) जोड़ा गया है। नया नियम (3क) इस प्रकार है:-

"(3क) उपधारा (2) या उपनियम (3) के अधीन टीआरओ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट किसी अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार में चूककर्ता उस समय पाया जाता है।"

4. इसके अतिरिक्त, नियम 73 के उपनियम (4) में प्रावधान के पश्चात एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:-

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां चूककर्ता हिंदू अविभाजित परिवार है, वहां उसका कर्ता को चूककर्ता समझा जाएगा।

5. खण्ड 68 द्वारा धारा 276ग में संशोधन किया गया है। धारा 276ग की उपधारा (2) के अनुसार, किसी भी कर के भुगतान से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को भी अभियोजन योग्य बनाया गया है। धारा 276ग (2) इस प्रकार है:-

"(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के भुगतान से बचने का किसी भी प्रकार से जानबूझकर प्रयास करता है, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपित किसी कर, शास्ति या ब्याज या उसके भुगतान से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयास में ऐसा मामला सम्मिलित होगा, जहां किसी व्यक्ति-

- (i) के कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज (जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत लेखा बही या अन्य दस्तावेज हैं) हैं, जिनमें कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन है; या
- (ii) ऐसी खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में कोई गलत प्रविष्टि या विवरण करता है या करवाता है; या
- (iii) ऐसी खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रासंगिक प्रविष्टि या विवरण को जानबूझकर छोड़ देता है या छोड़वाता है; या

6. खंड 73 में धारा 281 में संशोधन करके कुछ हस्तांतरणों को शून्य घोषित कर दिया गया है। संशोधित धारा इस प्रकार है:-

"281.(1) जहां, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने के बाद, लेकिन दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना की सेवा से पहले, कोई भी करदाता किसी अन्य

व्यक्ति के पक्ष में अपनी किसी भी संपत्ति पर भार बनाता है या कब्जे से अलग होता है (बिक्री, बंधक, दान, विनिमय या हस्तांतरण के किसी भी अन्य तरीके से), ऐसा भार या हस्तांतरण उक्त कार्यवाही के पूरा होने या अन्यथा के परिणामस्वरूप करदाता द्वारा देय किसी भी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ शून्य होगा।

यह कि ऐसा शुल्क या हस्तांतरण तब शून्य नहीं होगा जब यह:-

- (i) निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में किया जाता है: उचित मुआवजे के लिए और ऐसी कार्यवाही के लंबित होने की सूचना के बिना, या जैसा कि मामला हो सकता है, मूल्यांकित व्यक्ति द्वारा अदा किए जाने वाले ऐसे कर या अन्य राशि की सूचना के बिना; या
- (ii) आयकर अधिकारी की पूर्व अनुमति से।

(2) यह धारा उस स्थिति में लागू होती है, जहां कर या अन्य देय राशि या देय होने की संभावना पांच हजार रुपये से अधिक हो और भारित या हस्तांतरित आस्तियों का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक हो।

स्पष्टीकरण:-। इस धारा में, "परिसंपत्तियों" से भूमि, भवन मशीनरी, संयंत्र, शेयर, प्रतिभूतियां और बैंकों में सावधि जमाएं अभिप्रेत हैं, उस सीमा तक जहां तक पूर्वोक्त परिसंपत्तियों में से कोई भी करदाता के कारोबार के व्यापार सामग्री का भाग नहीं बनती है।

7.खंड 74 में कुछ मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की का प्रावधान करने हेतु एक नई धारा 281ख जोड़ी गई है। धारा 281ख इस प्रकार है:-

"281ख (1) जहां किसी आय के निर्धारण के लिए या किसी आय के, जो निर्धारण से छूट गई है, मूल्यांकन या पुनःमूल्यांकन के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आयकर अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा, द्वितीय अनुसूची में उपबंधित रीति से निर्धारित की किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी:

परन्तु आयुक्त, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगा, जैसी वह ठीक समझे, तथापि, बढ़ाई गई कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

8.कारण 81 ने दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन किए हैं। ये निम्नानुसार हैं:-"81. आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,-

- (i) नियम 19क को उसके उपनियम (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (1) कोई कर वसूली अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी है और जिसे इस अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, कर वसूली अधिकारी के रूप में अपने किसी कृत्य को अपने से निम्न पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को (जो आयकर निरीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो) सौंप सकेगा और ऐसा अधिकारी, उसे सौंपे गए कृत्यों के संबंध में, कर वसूली अधिकारी समझा जाएगा।

- यह कि जहां कर वसूली अधिकारी आयकर अधिकारी है, वहां इस उपनियम के अधीन कोई भी कार्य-सौंपना निरीक्षण सहायक आयुक्त के अनुमोदन से ही किया जाएगा;
- (ii) नियम 53 में, खंड (ग) में, अंत में आने वाले शब्द "और" को हटा दिया जाएगा, और उस खंड के बाद निम्नलिखित खंड डाल दिए जाएंगे, अर्थात्:- "(गग) आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी; और;
- (iii) नियम 56 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"यह कि इस नियम के अंतर्गत कोई बिक्री नहीं की जाएगी यदि उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा बोली की गई राशि नियम 53 के खंड (गग) के तहत निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, से कम है;
- (iv) नियम 59 को उप-नियम (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और उस पुनः संख्यांकित उप-नियम के पूर्व निम्नलिखित उप-नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
(1) जहां किसी संपत्ति की बिक्री, जिसके लिए नियम 53 के खंड (गग) के तहत आरक्षित मूल्य निर्दिष्ट किया गया है, उस आरक्षित मूल्य से कम राशि की बोली की कमी के कारण स्थगित कर दी गई है, यह एक आयकर अधिकारी के लिए वैध होगा, यदि वह इस संबंध में आयुक्त द्वारा अधिकृत है, किसी भी बाद की बिक्री में केंद्रीय सरकार की ओर से संपत्ति के लिए बोली लगाने के लिए;
- (v) भाग III में नियम 68 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
68ए (1) इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयकर अधिकारी, चूककर्ता से देय पूरी रकम या उसके किसी भाग की संतुष्टि के लिए वह संपत्ति स्वीकार कर सकेगा, जिसकी बिक्री नियम 59 के उपनियम (1) में उल्लिखित कारण से स्थगित कर दी गई है, ऐसी कीमत पर, जिस पर आयकर अधिकारी और चूककर्ता के बीच सहमति हो।
(2) जहां कोई संपत्ति उपनियम (1) के अधीन स्वीकार की जाती है, वहां चूककर्ता ऐसी संपत्ति का कब्जा आयकर अधिकारी को सौंप देगा और जिस तारीख को संपत्ति का कब्जा आयकर अधिकारी को सौंपा जाता है, वह संपत्ति केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी और केंद्रीय सरकार, जहां आवश्यक हो, तदनुसार, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त संबंधित पंजीकरण अधिकारी को सूचित करेगी।
(3) जहां उपनियम (1) के अधीन सहमत हुई संपत्ति की कीमत, चूककर्ता को देय राशि से अधिक हो, ऐसी अधिक राशि का भुगतान आयकर अधिकारी द्वारा संपत्ति का कब्जा दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चूककर्ता को किया जाएगा और जहां आयकर अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के भीतर ऐसी अधिक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, वहां केंद्रीय सरकार, चूककर्ता को ऐसी अधिक राशि का भुगतान कर सकेगी। ऐसी अवधि की समाप्ति पर प्रारंभ होने वाली और अप्रदत्त शेष राशि के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए, ऐसी राशि पर चूककर्ता को बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा;
- (vi) नियम 73 में,-
(i) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
(3क) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को उस क्षेत्राधिकार के भीतर किसी अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकेगा जहां उस समय चूककर्ता पाया जाता है;
- (ii) उपनियम (4) में,—
(a) शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-नियम (2) या उप-नियम (3)" के स्थान पर, शब्द "यह

नियम" प्रतिस्थापित किए जाएंगे और शब्द "कर वसूली अधिकारी" के पश्चात, शब्द "वारंट जारी करना" अंतस्थापित किए जाएंगे;

(b) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, यदि चूककर्ता हिन्दू अविभाजित परिवार है, तो उसका कर्ता चूककर्ता समझा जाएगा।"

■ ■